बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का०आ०सं०–17/बि०वि०मं०–03–02/2025– 4013 पटना, दिनांक– 15.7.26

कार्यालय आदेश

अष्टादश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र एवं बिहार विधान परिषद् का 213वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम **दिनांक–20.07.2026 से दिनांक–24.07.2026** तक प्रस्तावित है, जिसके आलोक में सत्रावधि में विभागीय विधायी कार्यों के सुगम संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :–

1. अनुलग्नक–I में अंकित व्यवस्थानुसार संबंधित पदाधिकारी दोनों सदनों के पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहकर सदन एवं विभाग के बीच लगातार समन्वय स्थापित रखेंगे तथा सदन से लौट कर प्रधान सचिव को महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं से लिखित रूप में अवगत करायेंगे।

2. अनुलग्नक–II में की गई व्यवस्थानुसार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/वरीय सचिवालय सहायक/कनीय सचिवालय सहायक/फोटोमशीन ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/कार्यालय परिचारी (अनुसेवक)/चौकीदार सत्रावधि के दौरान कार्यालय अवधि के बाद प्रशाखा पदाधिकारी–17 से अनुमति प्राप्त कर ही कार्यालय छोड़ेंगे।

3. विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सत्रावधि में अपने प्रशाखा के पटल से संबंधित विधान मंडलीय कार्यो को आवश्यकतानुसार कार्यालय अवधि के बाद देर रात्रि तक रूक कर निष्पादित करेंगे।

4. विधायी कार्यो से संबंधित रोस्टर में रहने वाले सभी पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8043 दिनांक–11.10.2017 के आलोक में निर्धारित राशि के अनुसार प्रति व्यक्ति के लिए कार्यालय अवधि के बाद जलपान एवं अवकाश के दिनों में कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने की स्थिति में भोजनादि की व्यवस्था प्रशाखा पदाधिकारी–30 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

5. सत्रावधि में विधायी कार्यों में संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था करने हेतु संबंधित पदाधिकारी, संबंधित शाखा के प्रशाखा पदाधिकारी एवं कोषांग के प्रभारी द्वारा प्रत्येक दिन प्रशाखा–30 को अधियाचना भेजी जायेगी।

6. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–30 अपने आवंटित कार्यों एवं क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चालक सहित एक सरकारी वाहन प्रशाखा पदाधिकारी–17 के नियंत्रणाधीन सत्रावधि (दिनांक–20.07.2026 से दिनांक–24.07.2026 तक के लिए) में उपलब्ध करायेंगे।

7. उप सचिव (मुख्यालय) चौकीदार को सत्रावधि में देर रात्रि तक एवं छुट्टी के दिनों में कार्यालय को खुला रखने हेतु अपने स्तर से आदेश देंगे।

8. सत्रावधि के दौरान किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को विशेष परिस्थिति छोड़कर अवकाश अनुमान्य नहीं होगा। इसकी सूचना सभी पदाधिकारीगण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संसूचित करेंगे।

9. सत्रावधि में प्रशाखा–17 के प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मचारी देर रात्रि तक रूककर कार्य संपादन के बाद ही कार्यालय छोड़ेंगे। सत्रावधि के दौरान छुट्टी के दिनों में पत्रादि प्राप्त करने अथवा अन्य कार्यो के लिए प्रशाखा–17 खुला रखेगें।

10. कार्यपालक अभियंता आई०टी० सेल/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सत्रावधि के दौरान अपने किसी एक कर्मी को ई–मेल करने हेतु देर रात्रि तक रूकने हेतु निदेशित करेंगे।

11. विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपना मोबाईल नम्बर प्रशाखा–17 को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें, ताकि विशेष परिस्थिति में उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

12. सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नोत्तर तिथि से छह दिन पूर्व अनुमोदित प्रश्नों के उत्तर (Unique Code में) श्री आलोक कुमार, संयुक्त संचिव (अभियंत्रण) सह–नोडल पदाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे अन्यथा विलम्ब की जबावदेही उनकी स्वयं की होगी।

कृ०पृ०उ०

13. सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने परिक्षेत्राधीन से संबंधित आने वाले विधानमंडलीय प्रश्नों का अनुश्रवण अपने स्तर से करेंगे।

उक्त प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15.7.2026

(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4013 /पटना, दिनांक– 15.7.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) सह–नोडल पदाधिकारी (विधायी कार्य), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री, जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो०/बाढ़ अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सभी चौकीदार, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक– I एवं अनुलग्नक–II तथा बिहार विधान सभा/विधान परिषद् से प्राप्त कार्यक्रम की सूची के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

15.7.2026

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4013 /पटना, दिनांक– 15.7.26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी० सेल/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/ई–मेल कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

15.7.2026

सरकार के संयुक्त सचिव

Sachin Kr

अनुलग्नक–I

अष्टादश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र एवं बिहार विधान परिषद् का 213वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रमानुसार दिनांक–20.07.2026 से दिनांक–24.07.2026 तक पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों के बीच रोस्टर की व्यवस्था निम्न प्रकार की जाती है :–

0सं0	दिनांक	दिन	बिहार विधान सभा	बिहार विधान परिषद्
1.	2.	3.	4.	5.
01.	20.07.2026	सोमवार	श्री रंजीत कुमार सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना।	श्री सचिन कुमार, सहायक अभियंता, जल विज्ञान निदेशालय, पटना।
02.	21.07.2026	मंगलवार	श्री दिलीप कुमार, सहायक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल–1, पटना।	श्री शिव बच्चन कुमार, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), समग्र योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल–1, पटना।
03.	22.07.2026	बुधवार	श्री हरे कृष्ण प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमंडल–2, पटना।	सुश्री सौम्या यादव, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना।
04.	23.07.2026	वृहस्पतिवार	श्री अश्विनी कुमार, सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–1, खगौल, पटना।	श्रीमती शीला कुमारी सिंह, रीडर (कार्यकारी प्रभार), भू–जल विज्ञान, वाल्मी, पटना।
05.	24.07.2026	शुक्रवार	श्री विनय कुमार, कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल–1, पटना।	श्रीमती जया, सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–2, खगौल, पटना।

संबंधित पदाधिकारी उपरोक्त स्तंभ–2 में उल्लेखित तिथियों को पदाधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहकर सदन एवं विभाग के बीच लगातार समन्वय स्थापित रखेंगे।

15.7.2026

(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

Sachin Kr

E:\Old Pt\Ashtadash Satra Vidhan mandal\3 Satra\Aadesh 20-07-26 to 24-07-26.docx3

अनुलग्नक–II

अष्टादश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र एवं बिहार विधान परिषद् का 213वें सत्र के औपबंधिक कार्यक्रमानुसार दिनांक–20.07.2026 से दिनांक–24.07.2026 तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/वरीय सचिवालय सहायक/कनीय सचिवालय सहायक/कार्यालय परिचारी/कम्प्युटर ऑपरेटर एवं फोटो मशीन ऑपरेटर के बीच रोस्टर की व्यवस्था निम्न प्रकार की जाती है :–

क्र0 सं0	दिनांक		नाम/पदनाम	कार्यालय परिचारी का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	20.07.2026	सोमवार	श्री कल्याण कुमार (स० प्र० पदाधिकारी)	श्री सत्य प्रकाश, कार्यालय परिचारी (टंकण शाखा)
2.	21.07.2026	मंगलवार	श्री कल्याण कुमार (स० प्र० पदाधिकारी)	श्री सत्य प्रकाश, कार्यालय परिचारी (टंकण शाखा)
3.	22.07.2026	बुधवार	श्री रवि कुमार (वरीय सचिवालय सहायक)	श्री मनीष कुमार, कार्यालय परिचारी (टंकण शाखा)
4.	23.07.2026	वृहस्पतिवार	श्री रवि कुमार (वरीय सचिवालय सहायक)	श्री मनीष कुमार, कार्यालय परिचारी (टंकण शाखा)
5.	24.07.2026	शुक्रवार	श्री रवि कुमार (वरीय सचिवालय सहायक)	श्री मनीष कुमार, कार्यालय परिचारी (टंकण शाखा)

15.7.2026

(उमेश प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव

Sachin Kr

E:\Old Pt\Ashtadash Satra Vidhan mandal\3 Satra\Aadesh 20-07-26 to 24-07-26.docx4